

उत्तराखण्ड में लागू होगी नई राजस्व संहिता

चर्चा में क्यों?

16 सितंबर, 2022 को उत्तराखण्ड राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने बताया कि उत्तराखण्ड में नई राजस्व संहिता (रेवेन्यु कोड) लागू होगी। राजस्व परिषद ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर शासन को सौंप दिया है।

प्रमुख बंदि

- अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वधि समिति की बैठक में इस पर वचिार कया जाएगा। इसके बाद इसे कैबिनेट को भेज दिया जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद यह वधिानसभा में जाएगा। जहाँ से पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा।
- गौरतलब है कि प्रदेश में वर्तमान में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी वनिाश और भूमिव्यवस्था अधनियिम) 1950 और भू राजस्व अधनियिम लागू हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अधनियिम भी प्रचलन में हैं। ये सभी अधनियिम उत्तर प्रदेश से धारण कयि गए हैं।
- समय-समय पर इन अधनियिमों में कुछ उप-धाराएँ जोड़ी गईं, लेकनि राज्य का पूर्ण रूप से अपना रेवेन्यु कोड नहीं बन पाया, जबकि उत्तर प्रदेश ने इन्हें समाप्त करते हुए अपना रेवेन्यु कोड वर्ष 2013 में लागू कर दिया था। अब प्रदेश में लागू सभी अधनियिम को मरज करते हुए अपना रेवेन्यु कोड तैयार कया जाएगा।